के रूप में उभर सकता है, जिसके तहत केंद्र की सेवा में

प्रतिनियुक्त अथवा राज्य में सेवाएं देते अफसर अपने लिए

निर्दिष्ट सियासी तटस्थता छोड़कर सियासी पार्टियों के प्रति

जटिल है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत 'पुलिस' और

'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के नहीं, जिन पर केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार

होते हैं. यह राज्यों में सत्तारूढ़ सियासी पार्टियों द्वारा उनके

क्षेत्राधिकार में केंद्रीय सरकार के किसी अतिक्रमण का

विरोध करने को और भी मजबूती दे सकता है. फिर वैसे

अपराधों का क्या होगा, जो एक ही राज्य तक सीमित न

रहकर अंतरराज्यीय प्रकृति के हों? चिट फंड घोटाले

का मामला इसकी नजीर है, जो कई राज्यों तक फैला

भारतीय पुलिस सेवा के मामले में तो स्थिति और भी

खुले पक्षपात में उतर सकते हैं.

रांची, मंगलवार, 12.02.2019

मौत का तांडव

त्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड के हरिद्वार में जहरीली शराब से मरनेवालों की संख्या लगभग सवा सौ पहुंच चुकी है. इस संदर्भ में बड़ी संख्या में संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है. विशेष जांच दल से घटना की जांच के आदेश भी जारी हुए हैं. ठीक ऐसे ही कदम देश के उन हिस्सों में भी उठाये जाते रहे हैं, जहां पहले जहरीली शराब से मौतें हुई हैं. जांच और सजा देने की प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चलती है कि शराब के नाम पर जहर बेचने का कारोबार कर रहे अपराधियों का हौसला बुलंद रहता है. बिहार में 2012 में हुई एक घटना में निचली अदालत में ही दोष सिद्ध होने में छह साल का समय लग गया. बंगाल में 2011 में 172 की मौत के मामले में भी पिछले साल सजा दी जा सकी. वर्ष 1980 में हरियाणा में हुई ऐसी ही वारदात का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में 2017 में पूरा हुआ. यह भी अजीब बात है कि इन मामलों में सरकारी अधिकारियों को निलंबन और स्थानांतरण जैसी मामुली प्रशासनिक सजा ही दी जाती है. जिन राज्यों में शराबबंदी है, वहां

बिना आबकारी और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के शराब का अवैध धंधा चलाया ही नहीं जा सकता है. इससे एक तो लोगों की मौत होती है, वहीं आबादी का एक हिस्सा और गरीब एव बीमार बन रहा है.

भी चोरी-छुपे बड़ी मात्रा में शराब की आपूर्ति होती है. ऐसी भी घटनाएं होती हैं, जब पकड़ी गयी शराब पुलिस के कब्जे से बाजार में चली जाती है. उल्लेखनीय है कि जहरीली शराब के हर मामले में एक-दो खतरनाक रसायनों की मिलावट का मामला सामने आता है. क्या प्रशासन के लिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इनकी खरीद-बिक्री में कौन लोग शामिल हैं ? बिना आबकारी और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के ऐसा अवैध धंधा चलाया ही नहीं जा सकता है. इस बात से

भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस धंधे को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है. एक तो इन त्रासदियों में लोगों की मौत होती है, वहीं अवैध शराब आबादी के एक हिस्से को और गरीब एवं बीमार बना रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2005 से 2016 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति शराब का उपभोग दोगुना हुआ है. शराब पीने के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य-संबंधी दुष्परिणाम भयानक हैं. इस समस्या को अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों के कारोबार और लत के साथ जोड़कर देखें, तो एक भयावह स्थिति सामने आती है. नशे की आदत पुरुषों, खासकर युवाओं, में है. पिछले महीने केंद्र सरकार ने इस समस्या से जूझने के लिए साढ़े पांच साल से लंबित नीतिगत प्रारूप की जगह एक पांच-वर्षीय कार्रवाई योजना बनायी है. इसके तहत राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संस्थाओं की साझेदारी में जागरूकता फैलाने. नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाने तथा लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के व्यापक प्रयास किये जायेंगे. यह एक सराहनीय पहल है, किंतु यह आशंका भी है कि राजनीतिक इच्छा-शक्ति की कमी तथा लचर प्रशासनिक रवैये के कारण इस योजना की नियति भी पहले चलाये गये कार्यक्रमों की तरह असफलता के रूप में न हो.



च्या विज्ञान हमें सावधान रहना सिखाता है. जिस तरह पुरोहितों से हमें सावधान रहना चाहिए, उसी तरह वैज्ञानिकों से भी हमें सावधान रहना चाहिए. पहले अविश्वास से आरंभ करो. छानबीन करो, परीक्षा करो और प्रत्येक वस्तु का प्रमाण मांगने के बाद उसे स्वीकार करो. आजकल के विज्ञान के बहुत से प्रचलित सिद्धांत, जिनमें हम विश्वास करते हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं. गणित जैसे शास्त्र में भी बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं, जो केवल कामचलाऊ परिकल्पना के सदृश ही हैं. जब ज्ञान की वृद्धि होगी, तो ये फेंक िदिये जायेंगे. ज्ञान एकत्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है. ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जायेगा, त्यों ही उसकी प्रगति रुक जायेगी, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा. इसका उदाहरण यह है-रसायन-शास्त्र यदि एक बार उस एक मूल तत्व का पता लगा ले, जिससे और सब द्रव्य बन सकते हैं, तो फिर वह अपने और आगे नहीं बढ़ सकेगा. भौतिक-शास्त्र जब उस शक्ति का पता लगा लेगा- अन्य शक्तियां जिसकी अभिव्यक्ति हैं, तब वह वहीं रुक जायेगा. ठीक वैसे ही धर्म-शास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, जब वह उसको खोज लेगा, जो मृत्यु के इस लोक में एकमात्र जीवन है, जो इस परिवर्तनशील जगत का शाश्वत आधार है, जो एकमात्र परमात्मा है, अन्य सब आत्माएं जिसकी प्रतीयमान अभिव्यक्तियां हैं. इस प्रकार अनेकता और द्वैत में होते हुए इस परम अद्वैत की प्राप्ति होती है. धर्म इससे आगे नहीं जा सकता. यही समस्त विज्ञानों का चरम लक्ष्य है. भक्ति बड़ी ही उच्च चीज है, पर उसके निरर्थक भावुकता पैदा होने के कारण वास्तविक चीज ही के नष्ट हो जाने की संभावना रहती है. ज्ञान की दुष्टि में भक्ति मुक्ति का एक साधन भी है और साध्य भी. मेरी दृष्टि में तो यह भेद नाममात्र का है- ज्ञानी और भक्त दोनों ही अपनी-अपनी साधना-प्रणाली पर विशेष जोर देते हैं; वे लोग यह भूल जाते हैं कि पूर्ण भक्ति के उदित होने से पूर्ण ज्ञान बिना मांगे ही मिल जाता है. भक्ति बड़ी ही उच्च चीज है. स्वामी विवेकानंद

कुछ अलग

आज के युवा और वैलेनटाइन डे

आगामी चौदह फरवरी को वैलेनटाइन डे से पहले वैलेनटाइन सप्ताह होता है. सात फरवरी को रोज डे था. प्रेम न बाडी उपजे प्रेम न हाट बिकाय की कहावत अब चरितार्थ नहीं होती. प्रेम

खूब बाजार में बिक रहा है. तरह-तरह के उपहारों से दुकानें सजी हैं. कार्ड से लेकर चमकदार हीरे, जेवर, कपड़े, मोबाइल, घड़ियां, पर्स, बैग, कारें, बाइक-जिसकी जैसी हैसियत, वह अपने प्रिय को देने के लिए वैसा ही

उपहार खरीद रहा है. बहुत से लोग शादी के लिए प्रपोज करने के लिए भी चौदह फरवरी यानी वेलेनटाइन डे को चुनते हैं. वे दिन अब नहीं रहे, जब प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता था. तब लड़कियों के लिए तो प्रेम छिपाने की और लड़कों के लिए ढोल बजा कर बताने की चीज था. प्रेम को तमाम तरह की वर्जनाओं से जोड़ा जाता था और लड़िकयों के लिए प्रेम करना किसी अपराध की तरह था. अब तो शहरी

मध्यवर्ग में ऐसी वर्जनाएं कम होती जा रही हैं. एक चलन देखने में आ रहा है कि अगर प्रेम में सफलता नहीं मिली, तो बदला लेना भी आम बात हो गयी है. अकसर प्रेम में असफलता मिलने पर लोग हत्या करने और तेजाब फेंकने जैसे जघन्य अपराध करने से बाज नहीं आते. बडी संख्या में लड़के और लड़कियां भी ऐसे अपराध करने लगे हैं. हाल ही में एक नर्स ने प्रेम में असफल होने पर एक डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया. इस तरह देखें, तो प्रेम में होनेवाली भावुकता और इमोशनल बांडिंग तिरोहित सी होती जा रही है.

क्षमा शर्मा वरिष्ठ पत्रकार kshamasharma1@gmail.com

जिस अनुपात में इन दिनों रिश्ते टूट रहे हैं, उन्हें देख कर ताज्जुब होता है. जिससे प्रेम किया. 'दे लिव्ड एवर आफ्टर' जैसी भावनाओं को पाला-पोसा, उसी रिश्ते में ऐसा क्या हो गया कि वह कुछ साल या कुछ दिनों में ही

टूट गया. फेसबुक पर आज जो अपनी स्टेटस रिलेशनशिप में दिखा रहा है, कल वही खुद को सिंगल दिखाने लगता है. फिर कुछ दिनों में रिलेशनशिप में आ जाता है. हिंदी फिल्में चाहे इस बात का राग गाती रहें कि प्रेम एक बार ही किया जाता है, लेकिन असली जीवन अब इस बात की गवाही नहीं देता.

इन सब बातों को अगर युवाओं के नजरिये से देखें, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है. अगर किसी से प्रेम किया, लेकिन बाद में लगा कि इससे पटरी नहीं बैठ रही, तो उस बेजान रिश्ते को जीवनभर ढोने से बेहतर है उसे खत्म कर देना. गुमराह फिल्म का गाना- 'चलो इक बार फिर से अजनबी बन जायें हम दोनों' आजकल ठीक मालूम देता है.

आज का युवा कोई इमोशनल बैगेज ढोना नहीं चाहता. इसलिए एक रिश्ता टूटने पर थोड़े दिन के बाद अफसोस भी दूर हो जाता है. हो भी क्यों नहीं, आखिर जिंदगी बहुत बड़ी है. कब तक किसी का नाम जप कर कोई जी सकता है. उसे अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ता है. देवदास और पारो का युग बीते जमाना हुआ. वेलेनटाइन डे युवा दौर की सच्चाई है. इसे पश्चिमी कह कर खारिज नहीं किया जा सकता. न ही युवाओं को प्रेम के लिए प्रताड़ित किया जाना चाहिए.

संकट में पडा 'इस्पाती ढांचा'

करशाही के एक अखिल भारतीय स्वरूप के संदर्भ में भारत के 'इस्पाती ढांचे' (स्टील फ्रेम) के सृजन का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा समेत अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के इस चौखटे से ये उम्मीदें बांधी गयी थीं कि वे तरफदारी की सियासत से परे निष्पक्षता के मानक स्थापित करते हुए एक ऐसी आचार संहिता से निर्देशित होंगी. जो तटस्थता तथा प्रशासनिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती हो. सरकारें

भले आती-जाती रहें, मगर इस इस्पाती ढांचे को सरकारी

कामकाज का उभयपक्षीय सातत्य सुनिश्चित करना था.

संपादकीय प्रभात

सरदार पटेल ने पिछले दिनों कोलकाता में घटित किसी वैसी घटना की संभवतः कल्पना भी नहीं की होगी. जिसमें एक वरिष्ठ आइपीएस अफसर को सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किये जाने से बचाने के लिए ममता बनर्जी के दबंग नेतृत्व में राज्य सरकार ही ढाल हो गयी. यह केंद्र तथा राज्य सरकार के परस्पर राजनीतिक विरोध का एक निकृष्ट नमूना बन गया, जिसमें दोनों की प्रतिद्वंद्विता के परे उन बुनियादी मान्यताओं को क्षति पहुंची, जिनके आधार पर भारत के 'इस्पाती ढांचे' का निर्माण किया गया था.

इस समस्या का मूलभूत बिंदु यह है कि लोक सेवाओं के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना करते वक्त सरदार पटेल यह मानते हुए चले थे कि इन अफसरों का पर्यवेक्षण केंद्र एवं राज्य के दोहरे स्तरों पर होगा. जब ये अफसर केंद्र सरकार के एक हिस्से के रूप में पदस्थापित होंगे. तो वे दिल्ली स्थित अपने नियंत्रक प्राधिकार से निर्देशित होंगे और जब उनका पदस्थापन राज्यों में होगा, तो वे मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकार में रहेंगे. जहां तक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का सवाल है, तो इस पद पर वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति उत्तरदायी हैं, मगर उनका संवर्गीय नियंत्रक प्राधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय है. जैसा पहले से ही साफ है, वह अपने वर्तमान

पदस्थापन में किसे रिपोर्ट करते हैं और एक अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के रूप में कौन उनके समग्र आचार के लिए जिम्मेदार है, इसे लेकर हमारी व्यवस्था में किंचित द्वैध मौजूद है. सीबीआइ के सामने राजीव कुमार के आत्मसमर्पण को रोकने में इसी द्वैध ने ममता बनर्जी को समर्थ बनाया. दुसरी ओर, इसी द्वैध ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक तथा वहां के कई अन्य पुलिस अफसरों समेत राजीव कुमार के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं 1968 के कई नियमों के संदर्भ में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया, जिसके अंतर्गत 'दोषी अफसरों' को केंद्र की सेवा करने से रोकने के अलावा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें प्रदत्त पदक या अन्य अलंकरण उनसे वापस लिये जा सकते हैं.

केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुप्रीमकोर्ट में भी ले गयी, जिसने राज्य सरकार एवं केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी के रूप में सीबीआई के विशेषाधिकारों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन साधते हुए अपने न्यायिक निर्देश में कहा कि चिट फंड घोटाले के दोषियों के विरुद्ध उनके असहयोग

के आरोपों के लिए राजीव कुमार से पूछताछ तो की जा सकती है. पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. उसने यह भी कहा कि यह पूछताछ कोलकाता या कि दिल्ली से अलग शिलांग में की जायेगी. सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का



पवन के वर्मा पूर्व प्रशासक एवं लेखक

pavankvarma1953@gmail.com

सरदार पटेल द्वारा सृजित इस्पाती ढांचा केंद्र एवं राज्य के बीच सहयोगात्मक संबंधों पर आधारित था, पर यदि यह सहयोग ही समाप्त हो जाए, तो फिर पूरी व्यवस्था के अव्यस्थित हो जाने का अंदेशा उठ खड़ा होगा .

> राज्यों में सत्तारूढ़ रहती हैं, सो ऐसे सियासी टकरावों की संख्या बढ़ सकती है और उसके परिणामस्वरूप ऐसे कई राजीव कुमार सामने आ सकते हैं. इसका एक बहुत घातक नतीजा नौकरशाही के और अधिक राजनीतिकरण

स्वागत करते हुए ममता बनर्जी एवं केंद्र सरकार दोनों पक्षों ने उसे अपनी जीत करार दिया.

बात इस घटना के किसी फौरी समाधान की नहीं, बल्कि अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों के संदर्भ में केंद्र-राज्य संबंधों के कहीं अधिक गंभीर मुद्दों की है. सरदार पटेल द्वारा सुजित इस्पाती ढांचा केंद्र एवं राज्य के बीच सहयोगात्मक संबंधों पर आधारित था. पर यदि यह सहयोग ही समाप्त हो जाये. तो फिर पुरी व्यवस्था के अव्यस्थित हो जाने का अंदेशा उठ खड़ा होगा. उदाहरण के लिए, यदि अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई के संदर्भ में केंद्र सरकार की नेकनीयती पर संदेह करते हुए राज्य सरकारें मौजूदा सेवा प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में असहयोग करना शुरू कर दें. तो इसके नतीजे अत्यंत गंभीर हो सकते हैं. तब अपने निर्धारित राज्यों में सेवाएं देते अफसर अपने संवर्गीय नियंत्रक प्राधिकार के रूप में केंद्र सरकार के निर्देशों की राज्य के मुख्यमंत्री के समर्थन से अनदेखी कर सकते हैं. चूंकि प्रायः केंद्र में


सत्तासीन पार्टी की विरोधी पार्टियां

है. फर्जीवाडे की इस विशाल स्कीम ने लगभग 17 लाख निवेशकों के 35 हजार करोड़ रुपये ठग लिये. इसका अन्वेषण कई राज्यों में किया जाना है, पर निर्धारित अन्वेषक एजेंसी एक केंद्रीय एजेंसी है. इस स्कीम के शिकार न्याय की पुकार लगा रहे हैं, पर अन्वेषण अब केंद्र तथा राज्य में सत्तारूढ़ दलों के सियासी संघर्ष में फुटबॉल बना ठोकरें खा रहा है. इस्पाती ढांचे की बुनियाद हमारे गणतंत्र की संघीय

शासन व्यवस्था में कई अन्य संस्थाओं की तरह केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पर टिकी है. यदि इन दोनों के बीच अविश्वास की खाई ज्यादा चौड़ी हो जाती है, तो इस प्रकृति की संस्थाएं उसी खाई में समा जायेंगी. निकट आते आम चुनावों के संदर्भ में बढ़ते दबावों के साथ तीव्रतर होते सियासी मतभेदों और विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनीतिक नक्कारखाने में उन समयसिद्ध संस्थाओं को पहुंचती चोटों को लेकर हमें अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है, जिन्होंने हमेशा ही राष्ट्र की रक्षा की है.

(अनुवाद : विजय नंदन)

कला पर न लगे अनावश्यक प्रतिबंध



जगदीश रत्तनानी

वरिष्ठ पत्रकार

editor@thebillionpress.org

कला पर अनावश्यक प्रतिबंध हमें कुछ ऐसी चीजों से वंचित कर देंगे, जो अत्यंत समृद्ध और उत्साहजनक होते हैं . अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध उस अवकाश को छीन लेते हैं, जो कला को विकसित होने की जगह मुहैया करता है .

मचीन अभिनेता, निर्देशक तथा निर्माता अमोल पालेकर एक मृदुभाषी वक्ता हैं, पर वे एक दमदार बात रख सकते हैं. पिछले सप्ताह वे मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्वर्गीय कलाकार प्रभाकर बर्वे की एक अरसे के दौरान विकासशील कलाकृतियों की प्रदर्शनी में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित थे. पालेकर ने इस मौके पर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तौर-तरीकों के विरुद्ध अपनी असहजता को अभिव्यक्त किया. उन्होंने कोई भी क्रांतिकारी बात नहीं कही, फिर भी उनके बोलने के दौरान व्यवधान डाले गये, उन्हें चुनौतियां दी गयीं और उन्हें बोलने नहीं दिया गया. उसके बाद जो विवाद पैदा हुआ, उससे निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी को एक बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि अगले सप्ताह या उसके बाद भी और अधिक दर्शक इस गैलरी में आयेंगे

पर उसी परिमाण में इसे लेकर ये चिंताएं भी मुखर होंगी कि किस तरह वैसी जगहों पर भी विरोध की आवाजें दबा दी जाती हैं और मतभेद मार दिये जाते हैं, जहां दरअसल उन्हें न सिर्फ कला के लिए, बल्कि आवाजों की विविधता तथा अभिव्यक्ति की विधाओं के लिए भी जीवनपोषक रक्त तथा प्रेरणास्त्रोत होना चाहिए था. क्योंकि, यह प्रदर्शनी वस्तुतः इन्हीं मूल्यों का जश्न मना रही है और पालेकर की आवाज दबाते वक्त इन मूल्यों की हत्या के प्रयास किये गये. इसलिए पालेकर ने जब आयोजकों से इस पर विचार करने को कहा कि जिस कलाकार को लेकर यह प्रदर्शनी आयोजित है, उसने चुप कराने की इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचा होता, तो वे बिल्कुल सही थे.

पालेकर ने ऐसा क्या कहा, जो इस कदर उत्तेजित करनेवाला था? वीडियो रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टों के अनुसार उनकी बातें इस प्रकार थीं- 'आपमें से बहुतों को यह नहीं पता होगा कि यह प्रदर्शनी स्थानीय कलाकारों की सलाहकार समिति द्वारा- न कि किसी ऐसे नौकरशाह अथवा सरकारी एजेंट द्वारा जो नैतिक 'पुलिसिंग' अथवा किसी खास वैचारिक झुकाव के अनुरूप कला को बढ़ावा देने के एजेंडे पर चलता हो- निर्णीत अंतिम शो होगा.' पालेकर उस रिपोर्ट का संदर्भ ले रहे थे, जिसके अनुसार स्थानीय कलाकारों की सलाहकार समिति भंग कर दी गयी थी और आगे कैसी कलाकृतियां प्रदर्शित की जायें, इसका निर्णय सरकारी बाबुओं के द्वारा ही होनेवाला था. पालेकर से कहा गया कि वे विषयवस्तु तक ही सीमित रहें और उस कलाकार के विषय में ही बोलें, जिसकी कलाकृतियां प्रदर्शित हैं.

यह विवाद जिस प्रदर्शनी में पैदा हुआ, उसका नाम 'इनसाइड दि एम्प्टी बॉक्स' है और यह प्रभाकर बर्वे की पहली प्रदर्शनी है, जिसका

देश दुनिया से

अगले सप्ताहांत

नाइजीरिया में चुनाव

नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी पर फैसला

सुनाने के लिए अगले सप्ताहांत वहां मतदान होगा.

अफ्रीका की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश

नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था इस महाद्वीप की सबसे

बड़ी अर्थव्यवस्था है. साल 2015 में इस देश ने

बुहारी के चुनाव का जश्न न सिर्फ अलोकप्रिय

गुडलक जोनाथन की अस्वीकृति के रूप में

मनाया था, बल्कि 1999 में नागरिक शासन की वापसी के बाद यह पहला लोकतांत्रिक परिवर्तन

बहुत अच्छा नहीं रहा. इस दौरान अर्थव्यवस्था

संघर्ष करती रही और भ्रष्टाचार रोकने के लिए

जिन कदमों को उठाने का दावा किया गया,

दरअसल वे बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोधियों

के लिए इस्तेमाल किये गये. अभी असुरक्षा एक

मुद्दा बना हुआ है, विशेष रूप से बोको हराम, जो

सरकार के बार-बार दिये गये आश्वासन, कि उसने

इस चरमपंथी समूह को हरा दिया है, के बावजूद

पुनर्जीवित हो जाता है. वहीं, किसानों के संघर्ष ने

हजारों लोगों की जान ले ली है. लंबे समय के लिए

विदेश में उपचार के लिए गये राष्ट्रपति की मृत्यु की

लगातार अफवाहें उड़ती रही हैं. ऐसे में बाध्य होकर

बुहारी को कहना पड़ा कि वे जिंदा हैं और वे लोगों

को इसके लिए आश्वस्त करते हैं.

theguardian

भी था. बुहारी का

राष्ट्रपति काल

आयोजन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मुंबई, ने 'बोधना आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन' नामक एक संगठन के सहयोग से किया था. जैसा संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर स्वयं उल्लिखित किया-'वर्ष 1995 में अपनी असामयिक मृत्यु के पश्चात प्रभाकर बर्वे आज भी अपनी खुद की शैली के साथ एक अनोखे कलाकार हैं और इस परियोजना का उद्देश्य इस कलाकार की कलाकृतियों तथा उनकी डायरी के अनकहे नोटों की एक शृंखला के माध्यम से उनके मस्तिष्क को पढ़ने का प्रयास करना है. इस प्रदर्शनी का नाम 1990 के दशक में इस कलाकार द्वारा सृजित कला शृंखला से लिया गया है, जिसमें बॉक्स का दोहरा अर्थ है. एक तो उसका शाब्दिक अर्थ है, जिसके अनुसार यह एक ऐसी जगह है, जिसमें अभिलेख, यादें एवं अहम चीजें बरसों तक अनछुई पड़ी रहती हैं. दूसरी ओर, यह बॉक्स एक तरह से इस कलाकार का मस्तिष्क भी है.' और यह एक विडंबना ही है कि इसका जश्न मनाते वक्त ही कलाकारों के इस समुदाय के एक सदस्य की आवाज दबा देने की कोशिशें की गयीं.

मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि अपने भाषण के दौरान पालेकर ने यह भी कहा कि 'मैं वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं हं और केवल यह सुना है कि स्थानीय कमेटियां भंग करते हुए नियंत्रण संस्कृति मंत्रालय के बाबुओं के हाथों जा रहा है.' उन्होंने सिर्फ एक चिंता प्रकट की, फिर भी अपनी आलोचनाओं के प्रति हमारा तंत्र इतना संवेदनशील है कि उसने इसे एक ऐसी बात मान ली, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. हमें यह नहीं मालूम कि ऐसा किये जाने का निर्देश मंत्रालय के किसी व्यक्ति ने दिया- संभवतः इसने ऐसा उन कई तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए किया होगा, जिनमें वह अपने संकेत भेज सकता है कि क्या वांछनीय है और क्या नहीं.

मुद्दे की बात यह है कि यह प्रवृत्ति कला एवं अभिव्यक्ति की हत्या कर देगी. एक जमाना वह भी था, जब उभरते कलाकार किसी सार्वजनिक स्थल पर घंटों बैठ अपने आसपास की दृश्यावलियां कैनवास पर समेटने की कोशिश करते दिख जाते थे. पर अब उन्हें भी सुरक्षा के नाम पर वहां से चले जाने को कहा जाता है. कला पर ऐसे अनावश्यक प्रतिबंध हमें कुछ ऐसी चीजों से वंचित कर देंगे, जो अत्यंत समृद्ध और उत्साहजनक होता है. ये एक उभरते कलाकार को हतोत्साहित कर सकते हैं, जो प्रोत्साहन और आदर के साथ आनेवाले भविष्य के लिए एक सुरक्षा बोध से संपन्न हो निखार पाता है. अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध उस अवकाश को छीन लेते हैं, जो कला को विकसित होने की जगह मुहैया करता है.

कार्टून कोना



साभार : बीबीसी

आपके पत्र

यह कैसा आंदोलन

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन एक बार फिर जारी है. गुर्जर नेता किरौड़ी सिंह बैंसला अपने समर्थकों के साथ सवाईमाधोपुर जिले में ट्रेन की पटरी पर बैठे हैं. उनकी मांग है कि गुर्जर समेत पांच जातियों को पांच फीसदी आरक्षण दिया जाए. वर्तमान में गुर्जर को अति पिछड़ा श्रेणी के तहत एक प्रतिशत आरक्षण अलग से मिल रहा है. वैसे गुर्जरों की यह मांग काफी पुरानी है. 2007 और 2008 के आंदोलनों में 70 से भी ज्यादा लोग मारे गये थे. आंदोलन में रेल और सड़क रोकना सामान्य बात हो चुकी है. गुर्जरों का आंदोलन 2006 में शुरू हुआ था. तब से अब तक वसुंधरा सरकार में चार बार व गहलोत सरकार में अब दुसरी बार गुर्जर आंदोलन पर उतरे हैं. कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और कई के रूट बदले जा चुके हैं. सवाल है कि आरक्षण मांगने का यह कौन-सा तरीका है ? हर बार गुर्जर आंदोलन के दौरान काफी हिंसा और आगजनी होती है. इसके शिकार आम जन होते हैं, जिनका इन आंदोलनों से कोई लेना-देना नहीं है. पिछली बार भी मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर सवाल उठाया था. आंदोलनों का स्थान रेल की पटरियां कैसे हो सकती हैं?

अमन सिंह, प्रेमनगर, बरेली, यूपी

कोर्ड तो करे चिंता

हर नेता एक-दूसरे को बहस की चुनौती दे रहा है. सवाल है कि प्रमुख राजनीतिज्ञ बहस करने के लिए कितना तैयार हैं? यह भी सही है कि अपने बहस के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप ही अधिक होते हैं. आधे-अधरे तथ्यों और झुठ के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है. जब बड़े नेता ऐसा करते हैं, तो छोटे नेता एवं कार्यकर्ता और बेलगाम हो जाते हैं. वे सोशल मीडिया पर भद्दी और ओछी टिप्पणियां करने की होड़ करते दिखते हैं. दुर्भाग्य से यही होड़ टीवी चैनलों में भी दिखने लगी है. मुश्किल यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने और राजनीतिक शुचिता की बातें करने वाले नेता इस रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे.

डॉ हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर.

फास्ट फूड से बचें

हम अक्सर फास्ट फूड को प्राथमिकता देते हैं. बच्चों के सुबह-शाम के नाश्ते में सबसे ज्यादा लोकप्रियता नूडल्स, चाऊमिन और ब्रेड है, जबिक सब को पता है कि यह सबसे ज्यादा हानिकारक है. जॉन्डिस, लीवर फेल, किडनी फेल जैसी गंभीर समस्याओं की एक बड़ी वजह यही है. इसके बावजूद अक्सर अभिभावक बच्चों से कोई काम कराने या अपनी बात मनवाने के लिए प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें फास्ट फूड खिलायेंगे. उनका यह व्यवहार चिंताजनक है. उन्हें इसकी जगह एक गिलास दूध पीने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए. जंक फूड और पैकेट मैटेरियल खाने से उन्हें हर हाल में रोकें. स्कूल प्रशासन भी ध्यान दे. अगर बच्चे लंच बॉक्स में ऐसी खाद्य सामग्री लाते हैं, तो तुरंत उनके अभिभावक से संपर्क कर आपत्ति जताएं. जरूरत पड़े, तो कड़ी कार्रवाई करें.

राजन कुमार, कांके, रांची.

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : **0651–2544006**, मेल करें: eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है